बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 281912 पटना, दिनांक 17.08.2016

ग्रा0वि07(**BISPSP**) - 08/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
बिहार, ।

विषय:- **विश्व बैंक संपोषित योजना बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPSP) में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) की सेवा के उपयोग हेतु Tally Accounting का प्रशिक्षण के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार सुशासन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और सेवाओं की डिलीवरी की गारंटी के लिए प्रतिबद्ध है । राज्य सरकार सेवा डिलीवरी से संबंधित सभी कमी को दूर करने के लिए सतत् प्रयास कर रही है । इस क्रम में ग्रामीण विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विश्व बैंक संपोषित योजना बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना **(BIHAR INTEGRATED SOCIAL PROTECTION STRENGTHENING PROJECT)** को स्वीकृत किया गया है । बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है ।

2. विश्व बैंक संपोषित इस परियोजना को राज्य स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा । इस योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 6 वर्षो की है । इस परियोजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण का कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना है । इस योजना अंतर्गत प्रखंडों एवं जिला स्तर पर सार्वजनिक धन के सदुपयोग हेतु लेखा संधारण व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा जिससे सही एवं समयबद्ध प्रतिवेदन सुनिश्चित किया जा सके ।

3. वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु लेखापाल का कार्य इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) की सेवा के उपयोग करने हेतु निर्णय लिया गया है । इसके लिए इन कर्मियों को **Tally Accounting (Tally –ERP 9.0)** के अंतर्गत **Accounting on Double Entry System on Cash Basis in Tally , Transactions recording & voucher entry in Tally , Generation of various ledgers/Trial Balance/Balance Sheet & other financial Statements , Preparation of Utilisation Certificates with the help of Tally / Preparation of Bank Reconciliation Statements with the help of Tally / Generation & printing & E-mail reports from Tally** इत्यादि की जानकारी अनिवार्य है ।

4. उक्त हेतु सभी लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) को अपने लागत से **Tally Accounting (Tally –ERP 9.0)** का मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण सितम्बर 2016 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने हेतु निदेशित करें ।

5. सभी लेखा सहायक इंदिरा आवास योजना के तहत कार्यरत है अतः उक्त प्रशिक्षण कार्यालय अवधि के उपरांत अथवा अवकाश के दिन किया जाना उपयुक्त होगा ।

6. प्रशिक्षण प्राप्त सभी लेखा सहायकों की दक्षता परीक्षा ली जायेगी । दक्षता परीक्षा के पूर्व मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण प्रमाणपत्र bisps.dpd@gmail.com पर भेजा जा सकता है । इस दक्षता परीक्षा में उन्हीं लेखा सहायकों को अनुमति प्रदान की जायेगी, जो प्रशिक्षण प्रमाणपत्र विभाग को प्रस्तुत करेंगे । अधिकतम दो बार में दक्षता परीक्षा उतीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

7. प्रथम दक्षता परीक्षा 15 अक्टुबर 2016 तक तथा द्वितीय दक्षता परीक्षा 15 नवम्बर तक 2016 को होना संभावित है ।

8. दक्षता परीक्षा में उतीर्ण लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) को प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति BISPSP मद से, 8000 (आठ हजार) रूपये अथवा प्रशिक्षण पर किया गया वास्तविक व्यय जो दोनों में से कम हो, किया जायेगा ।

9. लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) को प्रशिक्षण लागत पर खर्च के लिए यदि आवश्यक हो तो अधिकतम कुल 6000 (छः हजार) रूपये तक अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है एवं इसका सामंजन प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति की राशि से किया जा सकता है ।

10. प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं दक्षता परीक्षा उर्तीण करने के उपरांत लेखा सहायकों का मानदेय प्रतिमाह 1000 (एक हजार) रूपये बढ़ा कर बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPSP) मद से दिया जायेगा ।

11. जो लेखा सहायक प्रथम दक्षता परीक्षा में अनुर्तीण होंगे, उन्हें दक्षता परीक्षा उतीर्ण करने हेतु एक मौका और दिया जायेगा एवं इसमें भी अनुर्तीण होने पर उनके संविदा आधारित नियोजन को समाप्त कर दिया जाएगा ।

12. उक्त के आलोक में अनुपालन सुनिश्चत किया जाय ।

विश्वासभाजन

17/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक 281912 **पटना/दिनांक** 17.08.2016

ग्रा0वि07(**BISPSP**) - 08/2016

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड विकास पदा0, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशित किया जाता है कि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) को पत्र हस्तगत कराकर bisps.dpd@gmail.com पर सूचित करें एवं उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें ।

17/8/2016

सचिव

ज्ञापांक 281912 **पटना/दिनांक** 17.08.2016

ग्रा0वि07(**BISPSP**) - 08/2016

प्रतिलिपिः- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशित किया जाता है कि प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित कार्यरत लेखा सहायकों (ग्रामीण आवास) के लिये ऐसी वयवस्था सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लें ।

17/8/2016

सचिव